community-wise, area-wise record रखते हैं। माननीय सदस्य ने जैसा पूछा है, जब ऐसा कोई हादसा होता है या ऐसी कोई घटना होती है, तो मंत्रालय उसको संज्ञान में लेता है और बीच-बीच में हम राज्य सरकार के साथ सम्पर्क करके उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं।

SHRI D. RAJA: Sir, under our Constitution, the welfare of tribal people is the responsibility of the Government of India. I have written many letters to the Ministry on displacement of tribals from tribal villages like Devargondi, a part of Andhra Pradesh, but, so far, there has been no proper response from the Government. Under tribal laws, every displaced tribal family must be given one job. Why is the Government neglecting this law in the case of thousands of displaced tribals at Polavaram? Why does the Government hesitate in responding to the demand for a team to visit the displaced tribal settlements at Polavaram and enforce this law of one job per displaced family?

श्री जुएल ओरामः सर, यह प्रश्न East Godavari district में food poisoning से death के ऊपर है। अगर माननीय सदस्य अलग से इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उन्हें इसके बारे में information दे देंगे।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, it is a part of the question involving tribals.

SHRI D. RAJA: Polavaram is in the Godavari basin. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Raja, please stick to the question. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Why don't they send a delegation to the affected region? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Question No. 107.

Directions to tackle racial attacks and hate crimes

*107.SHRI HUSAIN DALWAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Supreme Court has given directions to tackle racial attacks and hate crimes in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) what is the progress in setting up of a three member panel as recommended by the said directions;

(d) what is the status of implementation of recommendations made in the M.P. Bezbaruah Committee Report; and

(e) whether the Ministry has undertaken enumeration of hate crimes and racially induced crimes in the country, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As per Supreme Court judgement dated 14.12.2016 in case of W.P. (Civil) No. 103 of 2014 Karma Dorjee and Ors. Vs. UOI & Ors. with W.P. (Civil) No. 111 of 2014, proactive steps need to be taken to enhance sense of security and inclusion, the Union Government in the Ministry of Home Affairs should monitor the redressel of issues pertaining to racial discrimination faced by citizens of the nation drawn from North East.

(c) The monitoring committee recommended by the Supreme Court has been setup.

(d) In order to deal with the concerns of persons hailing from the North eastern States and residing in different parts of the country, particularly in the metropolitan cities, the Union Government (MHA) constituted the Bezbaruah Committee on 5 February, 2014. The Committee submitted its report on 11 July, 2014. The Committee made recommendations for (a) immediate measures to be implemented within six months to one year; (b) short term measures to be implemented within a period of one to one and a half years; and (c) long term measures to be implemented within a period of one and a half to two years. Implementation of the recommendations of the Committee relates to Central Government Ministries and State Governments and is in different stages of implementation. In the Ministry, implementation of recommendations has been reviewed by MoS (Home) in the years 2015 and 2016.

(e) National Crime Record Bureau (NCRB) maintains data of cases registered under Sections 153A and 153B of IPC which deal with offences promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony and imputations, assertions prejudical to national integration. As per the recommendations of the Bezbaruah Committee there is a proposal under examination of the Ministry for amendment of the Indian Penal Code (IPC) by insertion of two new provisions - Section 153C and Section 509A. These amendments deal with offences involving racial matters and word, gesture or act intended to insult a member of a particular racial group or of any race. Since the subject falls in the

Concurrent list of the Seventh Schedule to the Constitution, consultations with the State Governments/law agencies are being undertaken before bringing out any amendment to the existing law.

श्री हुसैन दलवईः सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आदेश दिया था कि इस सम्बन्ध में protective steps लेने चाहिए। Discrimination होता है, सिक्योरिटी के बारे में बड़ी problem होती है और नॉर्थ-ईस्ट के जो स्टूडेंट्स यहां आते हैं, उनको बहुत ही तकलीफ होती है। मंत्री महोदय भी नॉर्थ ईस्ट के हैं। नॉर्थ-ईस्ट की एक औरत के दिल्ली गोल्फ क्लब में आने पर बंदिश लगाई गई, क्योंकि उसके कपड़े अच्छे नहीं थे। इस तरह ही तकलीफ कश्मीर के लोगों को भी हो रही है तथा अन्य प्रांतों से आने वाले लोगों को भी हो रही है।

श्री सभापतिः आप सवाल पूछिए।

श्री हुसैन दलवईः मेरा कहना है कि जुनैद का केस आप सबको मालूम है। वहां मुस्लिम होने के नाम पर लोगों को तकलीफ देने का काम हुआ है। अगर किसी ने सिर पर टोपी डाली हुई है और उसकी दाढ़ी है, इसलिए उसे तकलीफ दी जाती है। इस सम्बन्ध में मारवाह कमीशन की रिकमंडेशंस के बारे में सरकार क्या कर रही है? सरकार इसके ऊपर कुछ कर रही है या ऐसे ही सो रही है? आपकी सरकार आने के बाद हर दिन इस तरह की घटनाएँ सामने आ रही हैं। अफ्रीकन लोगों के ऊपर, तिब्बती लोगों के ऊपर, हर जगह इस तरह के केसेज़ होने लगे हैं। इस तरह के केसेज़ बढ़ गए हैं, इसका कारण क्या है?

श्री किरन रिजिजुः सर, माननीय सदस्य ने जो मूल question पूछा है, वह racial discrimination के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जो directive आई है, उसके बारे में है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के आने के बाद चाहे वह पूर्वोत्तर का हो, चाहे जम्मू-कश्मीर का हो या किसी भी हिस्से का कोई छात्र हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, जो इस देश में किसी भी जगह काम करता है या वह शिक्षा के माध्यम से कहीं अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है या पढ़ रहा है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर हमने कार्रवाई की है। यहाँ पर इसके बारे में detail में बताने का समय नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि हमने पिछले तीन सालों में जितने active कदम उठाए हैं, उतने कभी नहीं उठाए गए थे। गोल्फ क्लब का जो इश्यू आपने बताया, जब मीडिया के माध्यम से वह केस आया, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मैंने खुद कहा कि तुरन्त आप इसकी जांच करके हमें रिपोर्ट दीजिए और इस पर कार्यवाही भी करिए। इस बारे में उस कम्युनिटी के कुछ लोगों ने और दो-तीन राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी हमें फोन किया था और हमने उनसे कहा कि हम इस केस को जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जानी चाहिए, वे नहीं हुईं। जैसा अभी बताया कि जो खासी लेडी है, वह मेघालय से आती है और गोल्फ क्लब में उनका जो कल्चर रहा है, उस कल्चर के मुताबिक जो उनके पहनने के वस्त्र हैं, उनको लेकर वहां पर यह कहा गया कि आप यहां से बाहर जाइए। इस तरह यह सीरियस मामला है, इसलिए हमने इस पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है, लेकिन आज तक भी उसकी formal complaint lodge नहीं की गई है। मेरे कार्यालय से एसटी कमिशन को भी यह बताया गया कि आपके माध्यम से भी इस केस को देख सकते हैं कि इस पर क्या कार्यवाही की जा सकती है।

नियम के मुताबिक, अगर वह केस रजिस्टर्ड नहीं है और खुद complainant नहीं आता है, तो उस पर अपने आप *suo motu* action लेने की कोई सुविधा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। आज भी मैं यह कह रहा हूं कि अगर दिल्ली पुलिस के पास formally complaint lodge की जाएगी, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उस पर हम कार्यवाही करेंगे।

सर, इसके अलावा, इन्होंने कश्मीर के बच्चों के बारे में कहा है, हिन्दुस्तान के जितने भी राज्य हैं, गृह मंत्रालय ने उन सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज़ को यह एडवाइज़री जारी की है कि कश्मीर के बच्चों को कहीं भी, किसी प्रकार की भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। हम लोगों ने सभी राज्यों को यह निर्देश जारी किया हुआ है।

SHRI RIPUN BORA: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please sit down, Mr. Bora. ...*(Interruptions)*... This is not your question. ...*(Interruptions)*... He is asking his second supplementary.

श्री हुसैन दलवईः सर, अभी मंत्री महोदय ने अपना उत्तर देते हुए बहुत सारी बातें बताईं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के समय में जो मॉब लिंचिंग हो रही है, वह तो आपके जामाने में ही हो रही है। बेजबरुआ समिति ने यह सूचित किया है कि इस देश में अलग-अलग संस्कृतियां हैं, अलग-अलग भाषाएं हैं, अलग-अलग रंग के लोग रहते हैं और अलग-अलग तरह का खाना खाते हैं। इस तरह के लोगों में सारे कल्चर्स को एक करके शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित हो सके, इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। क्या सरकार इसके बारे में कुछ कर रही है? अभी तक हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया है, लेकिन अगर कुछ कर रही है तो बताइए।

श्री किरेन रिजिजुः सर, अगर आप हमसे बात करेंगे या जमीन पर जा करके पूछताछ करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। आपने बेजबरुआ कमेटी की बात की, बेजबरुआ कमेटी ने जो रिकमंडेशन किया है, उसमें short-term, medium-term and long-term solutions की बात की गई है। हमने अपने स्तर पर सभी संबंधित मंत्रालयों के सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स, सभी अथॉरिटीज़ के चेयरमैन, सीबीएससी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन, इन सब लोगों के साथ दो बार स्वयं रिव्यू मीटिंग ली है। इसमें long-term implementation के लिए कार्यवाही भी चल रही है। Short-term implementation में पुलिस की कार्यवाही इत्यादि आते हैं। दिल्ली पुलिस ने पिछले तीन सालों में जो कदम उठाए हैं, वह एक तरह से मॉडल है। अगर आप इसके फिगर देखेंगे, तो देखेंगे कि दिल्ली पुलिस ने इतनी स्विफ्ट कार्यवाही की है कि कोई यह नहीं कह सकता कि जो particular case आया है, उसमें कहीं लापरवाही हुई है। इस तरह आपने जो बेजबरुआ कमेटी के बारे में बात कही है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं, रिकमंडेशंस हैं और हमने उसी के अनुसार कार्यवाही की है।

इसके बाद आपने मॉब लिंचिंग की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यह गलत जानकारी प्राप्त हुई कि हमारी सरकार के आने के बाद से मॉब लिंचिंग हुई है। यह गलत बात है। अगर आपको मैं तथ्य दूंगा तो आपको खुद मालूम चलेगा। मैं पिछले साल के रिकॉर्ड की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, ये सब राज्य टॉप फाइव में आते हैं, जहां communal clashes या दो कम्युनिटीज़ के बीच जो enmities होती हैं, सबसे ज्यादा होती हैं। जब भी कोई मॉब लिंचिंग का इश्यू होता है, उस संबंध में ये राज्य सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे

समय में ही यह सब हुआ हो, ऐसा नहीं है। आप 2010 से 2016 तक का रिकॉर्ड देख लीजिए, आप स्वयं देखेंगे कि इसके फिगर्स में कोई बदलाव नहीं आया है। उस दिन आप लोग हाउस में यह चर्चा लाए थे, उस समय भी मैं आपको यह जानकारी देता, तो आपको पता चलता कि यह पूरा स्टेट का मामला है। आप रिकॉर्ड देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारी केन्द्र सरकार की इस मामले में कोई दखलअंदाज़ी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को स्वयं अपने तरीके से इस पर काम करना चाहिए।

SHRI MANISH GUPTA: The Government of India has set up the Bezbaruah Committee in 2014. Now, the Committee has suggested amendment of Sections 153 and 509 of the IPC. According to that, it is expected that the Government of India will consult the State Governments as it is in the Concurrent List in the Seventh Schedule of the Constitution Now, we have observed that the progress in such consultations, regarding the intention to make amendments, is taking a lot of time. What we need is concerted action against those people who disrupt communal harmony and spark racial tension. Is there any other plan or any other scheme to buttress this act of the Central Government so that this kind of activity is reduced to a great extent?

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, the matter is related to the amendment of the IPC to deal with the racially-motivated crimes. The Home Ministry has proposed to amend two provisions in the IPC, that is, Section 153A and Section 509A. These are proposed to be inserted into the IPC sections. As the hon. Member has rightly said, since this matter comes under the Concurrent List, we have to obtain the opinion of the State Governments. We have written to all the State Governments and, for the information of this House, I would like to mention that we have received a positive response from seven States and Union Territories. We are waiting for more responses, as the provision is well-known to the House that we need opinion of a majority of the States in favour of a particular amendment of the law which is in the Concurrent List. We are very much concerned and I do admit that it has taken some time, but it is our commitment and we are following the commitment which we have given to the country.

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः ऑनरेबल चेयरमैन साहब, माननीय मिनिस्टर साहब ने अभी answer दिया है कि Supreme Court की guidelines के मुताबिक advisory issue कर दी गई है और Act में amendment भी कर दिया गया है। मैं आपके ज़रिए मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि वे यह भी देखें कि जब तक किसी कानून पर अमल नहीं होगा, तब तक कानून क्या और कैसे काम करेगा? देश में जो वर्ष 1984 में कत्लेआम हुआ था, वह community clash नहीं था, बल्कि कत्लेआम था, लेकिन अब तक उसके दोषियों को कोई सज़ा नहीं मिली है।

चेयरमैन साहब, मैं मिनिस्टर साहब के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि अगर वह रवायत कायम रहेगी, तो देश में कैसे अमन रहेगा और कैसे लिंचिंग खत्म होगी तथा जिस प्रकार से ट्रेनों में लोगों को पकड़ कर मारने के मामले सामने आए हैं, वे कैसे रुकेंगे? इसलिए मैं आपके ज़रिए

मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि अगर देश में racial attack खत्म करने हैं, तो वर्ष 1984 के कत्लेआम में जो दोषी हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए, इस बारे में वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वह तो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में हैं।

श्री किरेन रिजिजुः सर, माननीय सदस्य ने वर्ष 1984 के riots के बारे में कहा ...**(व्यवधान)**...

सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः सर, riots नहीं, कत्लेआम कहिए।

श्री किरेन रिजिजुः आप अपनी जगह ठीक हैं। कुछ भी कहें, लेकिन इस घटना पर सब अफ़सोस जताते आए हैं। आपको पता ही है कि हमारी सरकार आने के बाद, हमारी सरकार ने इसके लिए एक कमेटी गठित कर के इस पर एक तरफ कार्यवाही करने का काम किया है और दूसरी तरफ compensation देने का काम भी शुरू किया है। हमारी सरकार ने इन दोनों मुद्दों पर ठोस कदम उठाए हैं। इस बारे में भी आप सबको मालूम ही है कि इस घटना की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए कोर्ट की तरफ से जो भी directions समय-समय पर आती हैं, उनके मुताबिक हमारी सरकार की तरफ से तुरन्त कार्यवाही की जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई विलम्ब नहीं किया गया है। हम भी चाहते हैं कि वर्ष 1984 में जो कत्लेआम हुआ है, उसके दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार की भी यही इच्छा है।

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, the question is on racial attacks and hate crimes. Now, my supplementary arises from the answer given by the hon. Minister that the Home Ministry or the police cannot take suo motu cognizance of a case. Sir, in these racial and hate crimes, in most of the cases, the victim cannot go to the police for there are some difficulties. But *suo motu* cognizance by the police is also a process of criminal justice, and this is not the first case. What I am referring to is the Delhi Golf Club case. So many things have been written about that. The police has interrogated the Secretary of the Club, but even after that, the case is not registered because *suo motu* cognizance has not been taken as because the FIR has not been filed. I do not think that FIR should be a hurdle in recognizing a case or taking cognizance of such cases. What is the answer of the Minister?

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, regarding what I had stated earlier, nobody is undermining the grave case which it makes out to be. Any kind of discrimination on the basis of racial or cultural affiliation is serious. But the law has to take its own measures as per the guidelines framed by the legislature. I cannot create my own law. Sir, we are intending to insert two specific provisions in the IPC so that in the future, if such cases come and if we have those proposed laws in our Statute book, it will be easier for the police to act. Right now, there is no provision based on which the police can act.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question Hour is over. The House is adjourned till 2.00 p.m